

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0.576/एगजिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-1/2018

दिनांक: 13 अगस्त, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मेघालय,
शिलोंग।

विषय: मेघालय में राज्य विधान सभा का उप निर्वाचन, 2018-एगजिट पोल-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे इसके साथ आयोग की दिनांक 13 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 576/एगजिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-1/2018 इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाया जाए और उसकी एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए।

इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-

(बिनोद कुमार)

अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0. 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-11/2018 दिनांक: 13 अगस्त, 2018

अधिसूचना

यतः, मेघालय राज्य विधान सभा के उप निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा आयोग के दिनांक 23 जुलाई, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/51/2018 तथा दिनांक 27 जुलाई, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/53/2018 के द्वारा की जा चुकी है।

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन तथा ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध होगा;

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा दिनांक **23.08.2018 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 23 जुलाई, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/51/2018 तथा दिनांक 27 जुलाई, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/53/2018 के द्वारा घोषित **मेघालय में 51-दक्षिण तुरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 35-रानीकोर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से उक्त उप-निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों के लिए संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत अवधि के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

ह./-

(एन.टी. बुटिया)

सचिव